14.5.22 पत्रावली आज उपस्थित पक्षकार के पेश हुई।
वादी की ओर से श्री [illegible] वकील वादी उप. प्रतिवादी क्र.
1 ता 4 स्वयं उप. हैं तथा प्रति क्र. 1 ता 4 की ओर से
[illegible] के [illegible] द्वारा इकबालिया
जवाब पेश किया। पेश होकर [illegible] उप. हैं तथा
इन्होंने [illegible] प्रमाणित नहीं होना बताया है
प्रतिवादी क्र. 5 की तरफ से [illegible]
[illegible] पक्षकारान द्वारा [illegible] के कथन किया
जाता है कि प्रति क्र. 05 द्वारा प्रस्तुत [illegible]
[illegible] पक्षकारान [illegible] व जिसे
अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश
पारित [illegible] की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:36 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] इकबालिया
जवाब [illegible] द्वारा [illegible] प्रमाणित
नहीं होना, तथा प्रति क्र. 05 के [illegible]
पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति, तथा वादी की

मुकदमे में राजीनामा प्रमाणित नहीं
[signature]

रेणुका
भवानीशंकर
रामावतार
रमशीला
निकिता [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
	द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने पर, लोक अदालत की भावना से, वाद स्वीकार योग्य होने से, वाद कार्यवाही स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 52 / 2022 तारीख दायरा 06.05.2022

उनवान

रेणुका नागर पुत्री भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादिनी

बनाम

1. भवानीशंकर पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद।
2. रामावतार पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद।
3. रामशीला पुत्री भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद।
4. निक्शा नागर पुत्री भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद।
5. शाखा प्रबन्धक इंडसंड बैंक, शाखा कोटा राजस्थान ।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री मनोज वैष्णव (वकील वादीगण) दिनांक :– 14.05.2022

श्री हेमन्त नागर (वकील प्रतिवादीगण)

–– निर्णय ––

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:47:36 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में पिता–पुत्री, भाई–बहन के संबंध रखते हैं। पक्षकारान के कब्जे एवं स्वामित्व की शामलाती पुश्तैनी आराजीयात माल ग्राम नाहरिया

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (को.रा.)

तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 203 नया पुराना 195 की निम्न आराजी स्थित है –

खसरा सं0	रकबा
1013 पश्चिम	0.27 है0
1042 पूर्वी	1.16 है0
1051	0.01 है0 चाही तृतीय
1052 दक्षिण	2.28 है0
1054	1.01 है0
1086 पूर्वी	0.25 है0
1157	1.30 है0
305	0.01 है0
306	0.19 है0
324	0.29 है0
325	0.08 है0
435	0.45 है0

कुल 12 किता की 7.30 हैक्टर आराजीयात ।

पक्षकारान का पुश्तैनी शजरा निम्न प्रकार है –

रामचरण

↓

भवानीशंकर {पिता}

↓

रेणुका {पुत्री} | [illegible] {पुत्र} | [illegible] {पुत्री} | निक्शा {पुत्री}

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:36 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार पक्षकारान वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक का वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बाय बर्थ विधिक अधिकार

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

आवृत है तथा प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा पक्षकारान को मौके पर अपने–अपने हिस्से पारिवारिक विभाजन अनुसार बांट दिये हैं ताकि भविष्य में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। वादीनी द्वारा दावा दायरी से एक माह पूर्व प्रतिवादी सं0 1 व 2 से वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हिस्से अनुसार नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी सं0 2 वादीनी से लडाई–झगडे पर आमादा हो गया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0 1 की पुश्तैनी सम्पुर्ण आराजीयात पर मेरा अधिकार है और में किसी को भी आराजी नहीं दूंगा। वादीनी द्वारा काफी समझाने पर भी प्रतिवादी सं0 2 नहीं माना इसलिए वादीनी के लिए वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीनी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज करने की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में पक्षकारान के मध्य कोई वाद–विवाद नहीं हो तथा पक्षकारान सरकारी योजनाओं, सब्सिडी आदि को अपने हिस्से अनुसार प्राप्त कर सकें। यही वाद की विषय वस्तु है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात माल ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 203 नया पुराना 195 की खसरा सं0 1013 पश्चिम की 0.27 है0, खसरा सं0 1042 पूर्वी की 1.16 है0, खसरा सं0 1051 की 0.01 है0 चाही तृतीय, खसरा सं0 1052 दक्षिण की 2.28 है0, खसरा सं0 1054 की 1.01है0, खसरा सं0 1086 पूर्वी की 0.25 है0, खसरा सं0 1157 की 1.30 है0, खसरा सं. 305 की 0.01 है0, खसरा सं0 306 की 0.19 है0, खसरा सं0 324 की 0.29 है0, खसरा सं0 325 की 0.08 है0, ख.न. 435 की 0.45 है0 कुल 12 किता की 7.30 हैक्टर आराजीयात में वादीनी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 का बाय बर्थ विधिक अधिकार निहित होने से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा राजस्व जमाबंदी में हिस्सा दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावे एव उक्त अनुसार डिक्री पारित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में डिक्री अनुसार हिस्सा अमल दरामद किया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 4 की ओर से वकील श्री हेमन्त नागर ने [illegible] जवाब दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 14.5.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। प्रतिवादी सं. 5 ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना व्यक्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramavtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:36 IST
Reason: SelfAttested

उप-जिला कलक्टर
सांगोद (कोटा)

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, पहचान के दस्तावेज, इकबाली जवाब एवं जवाब सरकार इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता सं0 203 नया पुराना 195 की खसरा सं0 1013 पश्चिम की 0.27 है0, खसरा सं0 1042 पूर्वी की 1.16 है0, खसरा सं0 1051 की 0.01 है0 चाही तृतीय, खसरा सं0 1052 दक्षिण की 2.28 है0, खसरा सं0 1054 की 1.01है0, खसरा सं0 1086 पूर्वी की 0.25 है0, खसरा सं0 1157 की 1.30 है0, खसरा सं. 305 की 0.01 है0, खसरा सं0 306 की 0.19 है0, खसरा सं0 324 की 0.29 है0, खसरा सं0 325 की 0.08 है0, ख.न. 435 की 0.45 है0 कुल 12 किता की 7.30 हैक्टर आराजीयात में वादीनी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 का प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 13:07:36 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद